**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 2941**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**सुरक्षा बलों के कौशल को बढ़ाने में इज़राइल द्वारा सहायता**

**2941. श्री के॰ आर॰ अर्जुननः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि इज़राइल ने आतंकवाद का सामना करने, स्‍नाइपर ऑपेरशन, नागरिक भिड़न्त, आसूचना, आईईडी को हटाने और आईएस आतंक समूह तथा अल-कायदा जैसी वैश्विक आतंकी संस्थाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्य-प्रणाली को समझने में भारतीय पुलिस अधिकारियों के कौशलों में वृद्धि करने की पेशकश की है;**

**(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय पुलिस संगठन, अर्ध सैन्य बलों, संसद बलों, संसद सुरक्षा तथा अन्य एजेंसियों के अधिकारियों को इज़राइल भेजने का निर्णय लिया है; और**

**(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ग): भारत एवं इजरायल के बीच क्षमता निर्माण के संबंध में परस्पर सहयोग है। हाल में, “क्षमता निर्माण तथा अपराध से मुकाबला, अपराध निवारण तथा साइबर-अपराध” पर संयुक्त कार्यबल की दूसरी बैठक के दौरान इजरायल ने आतंकवाद का सामना करने, स्‍नाइपर आपरेशन, बम विस्फोट सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की पेशकश की है। परस्‍पर सहयोग के अंतर्गत ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

**\*\*\*\*\***